न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री बाबुलाल जाट (RAS)
राजस्व वाद संख्या :– 151/2022 GCMS 2022/305

वादी

1. श्रीमति संध्या पत्नी स्व. पवन कुमार पारीक आयु 55 वर्ष
2. निर्मल कुमार पुत्र स्व. पवन कुमार आयु 35 वर्ष
3. शरद कुमार पुत्र स्व. पवन कुमार उम्र 28 वर्ष निवासीगण नावां तहसील नावां जिला नागौर हाल निवासी प्लाट नम्बर 51, गणेश नगर, प्रकाश पब्लिक स्कूल के पास, दो सो फीट बाईपास, निवारू रोड़ झोटवाड़ा जयपुर (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण

1. हरकचन्द पुत्र स्व. किशनलाल जाति पारीक आयु 85 वर्ष निवासी जिलिया तहसील कुचामनसिटी फौत के कायम मुकाम :–
   1/1– मालचन्द पुत्र स्व. हरकचन्द
   1/2– निर्मला पुत्री स्व. हरकचन्द
   1/3– पिन्टू पुत्री स्व. हरकचन्द
   1/4– अनिता पुत्री स्व. हरकचन्द
   1/5– मंजू पुत्री स्व. हरकचन्द
   1/6– अंजू पुत्री स्व. हरकचन्द
   1/7– भंवरी पुत्री स्व. हरकचन्द
2. रूघनाथ पुत्र स्व. किशनलाल जाति पारीक आयु 80 वर्ष निवासी जिलिया तहसील कुचामनसिटी
3. गीता देवी पत्नी रूगनाथ जाति पारीक आयु 75 वर्ष निवासी जिलिया तहसील कुचामनसिटी
4. उप पंजियक कुचामनसिटी जिला नागौर
5. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी जिला नागौर (राज.)

प्रार्थना–पत्र– अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 C.P.C. सपठित धारा 151 C.P.C. बाबत मन्सुख किये जाने एक–पक्षीय निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी राजस्व वाद सं. 55/2015 निर्णय डिक्री दिनॉक 19.09.2016 उनवानी प्रकरण हरकचन्द व अन्य बनाम पवन कुमार व अन्य

उपस्थित :– श्री पुरूषोतमलाल पारीक, श्री प्रभूराम गुर्जर अधिवक्ता प्राथीगण की ओर से।
श्री बिरमाराम चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से।

आदेश

दिनॉक 17.1.2023

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र प्रार्थना–पत्र– अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 **C.P.C.** सपठित धारा 151 C.P.C. बाबत मन्सुख किये जाने एक–पक्षीय निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी राजस्व वाद सं. 55/2015 निर्णय डिक्री दिनॉक 19.09.2016 उनवानी प्रकरण हरकचन्द व अन्य बनाम पवन कुमार व अन्य एवं प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया गया, जिसका सार [illegible] इस प्रकार से है कि इस न्यायालय के राजस्व वाद सं. 55/2015 [illegible] उनवान प्रकरण हरकचन्द व अन्य बनाम पवन कुमार व अन्य में प्रार्थीगण के [illegible] विरूद्व गलत रूप से निवास स्थान जिलिया बताया जाकर अखबार रवाही करवाकर एक–पक्षीय आदेश [illegible] किये गये। जबकि विधिवत सामान्य तरीके से तामिल करवाया [illegible] ना चाहिए था, उसके [illegible] तामिल नही होने पर रजिस्टर्ड डाक से सही पते सहित तलबी करवाई जानी चाहिए थी, परन्तु अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:49:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

हरकचन्द वगैरह ने दैनिक नवज्योति नागौर संस्करण में प्रकाशित करवाकर प्रार्थीगण के पिता के विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही कर निर्णय वाद एवं डिक्री दिनॉक 19.09.2016 को जारी की गई। उक्त एक–पक्षीय आदेश निर्णय डिक्री की पालना होने से पवन कुमार अपने हक हकूको से व खातेदारी अधिकारो से वंचित हो गया है जिसे न्यायहित मे सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायहित में आवश्यक है। पवन कुमार की दिनॉक 5.12.2020 को मृत्यु होने से उसके वारिसन प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी प्रार्थीगण को पटवारी हल्का जिलिया से नकल प्राप्त करने पर दिनॉक 24.01.2022 को हुई। ग्राम जिलिया के खसरा नम्बर 459, 451, 452, 453, 454, 455, 457, 480, 481, 456, 486 में प्रार्थीगण के पिता के नाम भूमि दर्ज चली आई है बतौर सबूत 2026–40 की जमाबंदी अनुसार साबित है, एकतरफा निर्णय होने से प्रार्थीगण पूर्ण रूप से प्रभावित है, जिन्हे सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिया जाना न्यायोचित व कानूनन आवश्यक है, यदि सुनवाई का अवसर नही दिया जाता है तो प्रार्थीगण के हक हकूको पर प्रभाव पड़ेगा व प्रार्थीगण न्याय प्राप्ति से वंचित हो जायेगें जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से नही की जा सकेगी। हरकचन्द रूघनाथ व अन्य ने कई अहम तथ्यों को छिपाकर मनगढंत तथ्य कि फूलचन्द पुत्र किशनलाल अपने नाना के यहॉ गोद चले गये थे जो सरासर गलत है फूलचन्द कभी अने नाना के यहॉ गोद नही गये ना ही कोई गोद लेने की रस्म हुई है। पवन कुमार का गलत पता अंकित कर सम्मन/नोटिस पर तामील हुये बिना अखबार में साया करवाया है जो कानूनन गलत है। वादग्रस्त आराजियात से संबंधित प्रकरण पक्षकारान में मध्य न्यायालय एसीएम नावां में उनवान प्रकरण मोतीलाल पुत्र फूलचन्द पारीक नावां बनाम हरकचन्द पुत्र किशनलाल जिलिया व अन्य जिसका मुकदमा नम्बर 366/83 व डिक्री दिनॉक 05.09.1985 है उक्त निर्णय व डिक्री को मन्सुख कराने हेतु हरकचन्द पुत्र किशनलाल ने मोतीलाल व अन्य के विरूद्व एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 निय 13 सीपीसी के तहत पेश किया गया जिसका मुदमा नम्बर 145/1983 न्यायालय एसीम नावां है, इसी प्रकार दूसरा प्रार्थना–पत्र नवल किशोर पुत्र औंकार व अन्य ने मोतीलाल पुत्र फूलचन्द व अन्य के विरूद्व एक प्रार्थना–पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी का न्यायालय नावां में पेश किया जिसका मुकदमा 18/87 है उक्त प्रार्थना पत्र का माननीय न्यायालय एसीम नावां द्वारा दिनॉक 02.03.1987 को दोनो प्रार्थना–पत्र खारिज किये गये जिसकी अपील माननीय राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर के यहा हरकचन्द व अन्य ने पेश की जिसका निर्णय 15.04.1998 को पारित होकर अपील खारिज हुई। मोतीलाल पुत्र फूलचन्द पारीक के नाम विवादित आराजियात दर्ज राजस्व रेकार्ड रही है, खातेदार मोतीलाल पुत्र फूलचन्द की मृत्यु दिनॉक 17.12.2004 को नावां में होने के पश्चात उसकी खातेदारी की भूमि उसके पुत्र पवन कुमार पुत्र मोतीलाल के नाम दर्ज हुई। पवन कुमार नावा में निवास करता था जहा पर कोरोना काल में 5.12.2020 को स्वर्गवास हो गया जिसके प्रार्थीगण वारिसान है। पवन कुमार की मृत्य होने के पश्चात उसके वारिसान को सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायोचित व आवश्यक है अन्यथा प्रार्थीगण अपने हक व हकूको से व साक्ष्य प्रस्तुत करने से हमेशा के लिये वंचित रह जावेंगे। हरकचन्द रूघनाथ व अन्य निवासी जिलिया प्रार्थीगण के पूर्वज मोतीलाल पुत्र फूलचन्द से व्यक्तिगत रंजिश रखते चले आ रहे है जिसका हवाला मोतीलाल ने अपने उक्त दावे में किया है तथा वे विवादित आराजियात पर लठ्ठ के जोर पर अवैधानिक रूप से जबरन कब्जा करना चाहते है जिसका उन्हे कानूनू कोई अधिकार नही है। प्रार्थीगण की प्रार्थना है कि वाद सं. 55/2015 हरकचन्द बनाम पवन कुमार वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनॉक 19.09.2016 को मन्सुख फरमाकर प्रार्थी–प्रतिवादी को सुनवाई का अवसर दिया जाकर पुनः सुनवाई की जावें।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण से. 1 के कायम मुकाम 1/1 मालचन्द व अप्रार्थीगण 2 व 3 ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय डिक्री विधी व न्याय के सिद्वान्तो के अनुरूप जारी की गई है तथा शेष कथन अस्वीकार किये है। अप्रार्थी सं. 1/2 से 1/7, 4, 5 बावजूद

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:39:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

सूचना अनुपस्थित रहे जिससे उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थना–पत्र सं.28/2022 दिनॉक 25.02.5022 दर्ज रजिस्टर कर सुनवाई की गई। दिनॉक 21.03.2022 को जारी आदेश की अपील माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेंर में अप्रार्थी मालचन्द द्वारा की गई। जिसमे, माननीय न्यायालय द्वारा 03.08.2022 को आदेश पारित कर प्रार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर दोनो उभय पक्षो को सुनकर विधिसम्मत आदेश पारित करने के निदेश दिये जाकर मूल पत्रावली इस न्यायालय को प्रेषित की गई। इस न्यायालय में प्रकरण पुनः 01.09.2022 को दर्ज कर प्रकरण सं. 151/2022 दर्ज कर सुनवाई की गई। अप्रार्थी मालचन्द, गीतादेवी रूघनाथ ने दिनॉक 5.12.2022 को जवाब प्रस्तुत किया। जो शामिल मिसल उपलब्ध है। दिनॉक 10.01.2023 को अप्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना–पत्र 151 सीपीसी का प्रस्तुत किया, जिसका प्रार्थी वकील ने जवाब प्रस्तुत नही कर बहस की। दोनो पक्षो की प्रार्थना–पत्र 151 सीपीसी एवं मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी पर बहस सुनी गई।

दस्तावेजी साक्ष्य में प्रार्थीगण की ओर से इस न्यायालय के राजस्व वाद सं. 55/16 हरकचन्द बनाम पवन कुमार वगैरह से सम्बन्धित पत्रावली की आदेशिकाए सम्पूर्ण, निर्णय व डिक्री दिनॉक 19.09.2016, प्रकाशित अखबार स्याहा नोटिस,, ग्राम पंचायत जिलिया द्वज्ञरा जारी प्रमाण पत्र 9.8.1980 की छाया प्रति, पवन कुमार के मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति, नगरपालिका मण्डल नावां द्वारा दिनॉक 5.4.2005 को जारी वारिस प्रमाण पत्र की छाया प्रति, सहायक कलक्टर न्यायालय के प्रकरण सं. 145/85 18/87, हरकचंद बनाम मोतीलाल निर्णय 2.3.87 इत्यादि की छाया प्रति, मिलान क्षेत्रफल की छाया प्रति, सम्वत 2069–72 जमाबंदी नकल ग्राम जिलिया के खसरा नम्बर 456, 458, 486,459, सम्वत 2065–2068, खाता सं. 88, 90, 204, नामान्तरकरण सं.463 की छाया प्रति, पवन कुमार के आधार कार्ड 258230928371 की प्रति प्रस्तुत की। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया।

प्रकरण में उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। दोनो पक्षो द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं जवाब प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। प्रार्थीगण वकील द्वारा कुछ नजीर प्रस्तुत की गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र 151 सीपीसी में कोई युक्तियुक्त तथ्य अंकित नही किये है केवल मात्र प्रकरण को लम्बा करने के उद्देश्य से प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है जो सारहीन होने से खारिज किया जाता है। इस न्यायालय के राजस्व वाद सं. 55/15 हरकचन्द बनाम पवनकुमार की आदेशिकाओ का अवलोकन किया गया। जिसमें प्रतिवादी पवन कुमार की साधारण तरीके एव रजिस्टर्ड डाक से कभी तलबी नही हुई, केवल प्रार्थना–पत्र आर्डर 5 रूल्स 20 दिनॉक 18.12.15 को प्रस्तुत होने पर स्वीकार कर प्रतिवादी पवन कुमार की तलबी जरिये अखबार स्याहा में निवास स्थान जिलिया बताकर की गई। जबकि उपलब्ध रेकार्ड इत्यादि के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी पवन कुमार जिलिय में निवास कर नावां में निवास करता आया है। पक्षकारान फूलचन्द हरकचन्द रूगनाथ पि. किशनलाल एक ही परिवार के सदस्य है, पवन कुमार फूलचन्द के पुत्र मोतीलाल का पुत्र है जो इनके ही परिवार का सदस्य रहा है, जिसकी सही तरीके से तामिल नही करवाई गई। पवन कुमार एवं उसके पिता नावां के निवासी रहे है इसकी पुष्टि उपलब्ध प्रमाण पत्र मृत्यु प्रमाण पत्र इत्यादि से होती है तथा पवन कुमार के आधार कार्ड की प्रति से भी साबित होता है कि पवन कुमार नावां तथा अंतिम समय जयपुर में निवास करता आया है। इस प्रकार एक–पक्षीय [illegible] आदेश डिक्री दिनॉक 19.09.2016 को अपास्त किया जाना न्याय के सिद्धांतो [illegible] है तथा पवन कुमार के वारिसान अर्थात प्रार्थीगण को समुचित सुनवाई का अवसर देकर साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 **C.P.C.** सपठित धारा 151 C.P.C. बाबत मन्सुख किये जा[illegible] एक–पक्षीय निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी राजस्व वाद सं. 55/2015 निर्णय डिक्री दिनॉक 19.09.2016

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:39:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उनवानी प्रकरण हरकचन्द व अन्य बनाम पवन कुमार व अन्य एवं प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत शपथ–पत्र एवं प्रार्थीगण को प्रकरण की जानकारी होने के तथ्यों के अनुसार समय अवधि में प्रस्तुत किये जाने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

प्रार्थना–पत्र प्रार्थना–पत्र– अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 **C.P.C.** सपठित धारा 151 C.P.C. बाबत मन्सुख किये जाने स्वीकार किया जाता है तथा इस न्यायालय द्वारा जारी एक–पक्षीय निर्णय व डिक्री राजस्व वाद सं. 55/2015 निर्णय डिक्री दिनॉक 19.09.2016 उनवानी प्रकरण हरकचन्द व अन्य बनाम पवन कुमार अपास्त किया जाता है। मूल वाद पुनः दर्ज किया जावे तथा प्रार्थीगण को समुचित सुनवाईएवं जवाब दस्तावेज, साक्ष्य इत्यादि प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाता है। उभय पक्षकारान उपरोक्त वाद सं. 55/2015 पुनः बरामद मे अपना अपना पक्ष प्रस्तुत करे। पवन कुमार के स्थान पर उसके वारिसान को प्रतिवादीगण प्रतिस्थापित किया जाता है तथा वादी हरकचन्द के स्थान पर उसके वारिसान को प्रतिस्थापित किया जाता है तथा शेष प्रतिवादी यथावत रहेगे। आदेश की एक प्रति उपरोक्त प्रकरण 55/2015 हरकचन्द बनाम पवनकुमार के सम्मिलित की जावे।

आदेश आज दिनॉक 17/1/2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबुलाल जाट R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:39:54 IST
Reason: SelfAttested